न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व अपील संख्या : 03/2020 Gems No. 2020/00063
दायरा तिथि : 16.07.2020
आदेश तिथि: 30-5-2022

अपीलान्ट :–
पोकरी पत्नि स्व. जसारामजी जाति मेघवाल
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–
1. मगनी पुत्री जेठाजी पत्नि छोगारामजी जाति मेघवाल
   निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत धणी

उपस्थिति:–
1. श्री हनुमानसिंह चौहान.............................. अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनांक : 30-5-2022

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1191 दिनांक 15.10.2019 जो सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा दिनांक 05.12.2019 को स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर ग्राम धणी में स्थित भूमि खसरा नंबर 108, 109, 110, 111, 112, 94 रकबा क्रमशः 3.06 हैक्टर, 0.02 हैक्टर, 0.07 हैक्टर, 0.68 हैक्टर, 0.72 हैक्टर, 6.94 हैक्टर कुल खसरा–06 कुल रकबा 11.49 हैक्टर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम तथा गैर मुमकिन 1/5 हिस्सा के सह खातेदार जेठाराम पुत्र चेनारामजी के सह खातेदारी की स्थित रही है। जेठाराम के कोई जायंदा पुत्र नहीं होने से अपीलान्ट के पति श्री जसाराम पुत्र खांगाराम को जाति रिती रिवाज अनुसार दिनांक 13.03.2008 को गोद लिया था। अपीलान्ट के पति जसाराम गोदपुत्र जेठाजी का स्वर्गवास जेठाराम के जीवनकाल में ही दिनांक 08.11.2015 को हो गया। अपने पति जसाराम की मृत्यु के बाद अपीलान्ट पोकरी अपने ससुर जेठारामजी की सेवा चाकरी करती रही एवं श्री जेठारामजी ने उनके बंट हिस्से की उपरोक्त वर्णित भूमियो मेंसे 1/5 वा हिस्सा पोकरी पत्नि स्व. जसाराम पुत्र जेठारामजी को दिनांक 03.10.2016 को वसीयत कर दिया। इसके बाद दिनांक 15.11.2017 को श्री जेठारामजी का भी स्वर्गवास हो गया। उनकी माता खीमीबाई का स्वर्गवास पुर्व में हो चुका है एवं उनकी पत्नि श्रीमति गजीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट व उसके पति गोद लेने के बाद दिनांक 13.03.2008 से लगातार जेठाराम जी के साथ ही रहे तथा उनकी सेवा चाकरी की एवं जेठारामजी की पुत्री मगनी जिसकी शादी धणी में ही छोगारामजी मेघवाल के साथ हुई है वह भी गोदनामा में सरीक थी गोदनामा में साक्षी भी है। अपीलान्ट के पति जसाराम द्वारा समय–समय पर भाई होने से समाज के रिती रिवाज अनुसार वार त्यौहार एवं शादी विवाह में पुर्ण खर्चा भी वहन किया है। स्व0 जेठाराम की तमाम चल अचल सम्पति पर अपीलान्ट पोकरी का कब्जा व स्वामित्व होते हुये रेस्पोडेन्ट मगनी ने राजस्व कर्मचारीयो से साठ गांठ कर जेठारामजी की एक मात्र वारिश बता कर उक्त वर्णित भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्व. जेठारामजी का वारिश स्वयं को बताकर अपने नाम खुलवा दिया, जिसकी कोई जांच नही की गई एवं सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1191 दिनांक 5.12.2019 को स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपने नाम भूमि दर्ज होने के बाद दिनांक 01.02.2020 को भूमि का बेचान भी कानाराम पुत्र लालाराम मेगवाल निवासी लुणावा के नाम पंजिबद्ध विक्रय विलेख के द्वारा कर दिया है। नामान्तरकरण संख्या 1191 अपीलान्ट की जानकारी के बाले–बाले होने तथा ab-initio- void प्रारम्भतः शून्य होने से उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या–01 मगनी का नाम दर्ज होने से मगनी द्वारा खरिदकर्ता कानाराम पुत्र लालाराम मेघवाल के पक्ष में निष्पादित किया गया बेचानदस्तावेज **fraud** होने से नामान्तरकरण के विरूद्व उक्त अपील अपीलान्ट की और निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई:–

1. यह हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या–02 ग्राम पंचायत धणी ने बिना मौके की व दस्तावेजी तथा कब्जे कास्त की जांच किये अपीलाधीन नामान्तरकरण किया है, जिसमें बडी भारी कानूनी व वाक्याती भूल हुई है जो निरस्त करने योग्य है।
2. यह हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा हो जाने से उसके 1/5 हिस्से के स्व. जेठारामजी स्वामी हुए एवं उस पर उनका कब्जा कास्त जीवन पर्यन्त रहा है उनके पश्चात् अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जे कास्त में हैं। जिससे सबंधित राजस्व कर्मचारी ने इसकी व जेठारामजी के वारिसान की जांच बिना अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण खोल दिया। जिससे अपीलान्ट न्याय से वंचित रही है एवं उससे प्रेज्युडीश हुई हैं। नामान्तरकरण कानून विरूद्व खोले जाने से निरस्त करने योग्य है।

पेज लगातार....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व अपील संख्या : 03/2020 Gcms No. 2020/00063**
**अनवान पोकरी बनाम मगनी वगैरा**
**अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**
**(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1191 दिनांक 15.10.2019 जो सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा दिनांक 05.12.2019 को स्वीकृत किया गया)**

3. यह हैं कि स्व. जेठारामजी के कानूनी वारिसान स्व. जसाराम व उसकी पत्नी अपीलान्ट पोकरी हैं। जिससे केवल मगनी रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के नाम नामान्तरकरण चोरी छीपे खोल कर स्वीकृत कर दिया जबकि यह संपति कृषि भूमि 1/5 हिस्सा उन्हे बन्ट में प्राप्त होने से उनकी स्व अर्जित भूमि की परिभाषा में आती हैं। एवं इस कारण उन्होनें यह भूमि 1/5 वा हिस्सा अपीलान्ट पोकरी के नाम वसीयत दिनांक 03.10.2016 को कर दी जिससे उनकी मृत्य के पश्चात् वसीयत निष्पादित होने योग्य होने से इसकी जांच कर फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम खोला जाना कानूनन व संबंधित न्याय नियमों के अनुकुल है। जिसकी न तो जांच की गई न भूमि बावत् वारिशन की कोई जांच ही की गई हैं। जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।
4. यह हैं कि गोदनामा जसाराम बावत् की जानकारी मगनी को हैं फिर भी उसने इस तथ्य को एवं वसीयत को छिपाकर बाला–वाला अपने नाम चोरी छीपे अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारीयो से साठ गांठ कर खुलवा कर स्वीकृत करवा दिया जो विधि विरूद्व होने से अपीलान्ट न्याय से वंचित रही हैं जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण खोले जाने व स्वीकृत करने में बडी भारी वाक्याति व कानूनी भूल हुई हैं, जो नरस्त करने योग्य है।
5. यह हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बावत् अपीलान्ट को सर्व प्रथम ज्ञान पटवारीजी से पूछताछ करने पर दिनांक 10.07.2020 को हुआ तब बाली जाकर नकल उसी दिन मांगी जो दिनांक 14.07.2020 को प्राप्त होते ही अधिवक्ता को बताया अपील अन्दर अवधि एक माह में पेश हैं।
6. यह हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या–02 ग्राम पंचायत धणी द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। जिसकी अपील के सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को है।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से वकील श्री विरमदेवसिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया।

प्रस्तुत अपील में धारा–05 अवधि अधिनियम, 1963 पर वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् दिनांक 19.04.2022 को प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार करते हुये अपील को अवधि में शुमार करते हुये मूल अपील की बहस के लिये रखा गया। प्रकरण बहस के लिये लंबित चलते वकील अपीलान्ट ने दिनांक 10.05.2022 को उपस्थित होकर निवेदन किया कि दिनांक 28.04.2022 को रेस्पोडेन्ट मगनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया जावे। मगनी ने अपनी भूमि को मोहनलाल पुत्र जसाराम चौधरी को नहीं बेची है तथा न ही कोई वकील नियुक्त किया है, ऐसा शपथ पत्र में स्वीकार किया है। जिससे वकील अपीलान्ट श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा अपील को स्वीकार किये जाने की दलील दी। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह सोनिगरा ने **No. Instruction Plead** किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या–01 स्वयं द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से श्री विरमदेवसिंह को वकील नियुक्त करने से इन्कार करने तथा अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह द्वारा भी **No. Instruction Plead** करने से वकील अपीलान्ट श्री हनुमानसिंह चौहान की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील अपीलान्ट द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण भी पेश किये गये:–

1. A.I.R. 1953 S.C. 495 (vol. 49 c.n. 122) (b) Hindu Law- Mitakshara school- Gift or will- Property in the hands of legatee or done is not ancestral " ipso facto

2- 1994 Scc पेज 01 से 05

3- RBJ (9) 2002 RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 135- Order of attestation of mutation Without notice to the affected parties is ab- initio void. In This case Gram Panchayat attested the mutation Without giving notice to the affected parties. The Board of Revenue held that attestation of mutation without giving notice to the affected parties is ab- initio- void ( para 8,9 and 10)

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् निम्न स्थिति जाहिर है:–

स्व. जेठाराम पुत्र चेनाराम वादग्रस्त भूमियो में सह खातेदार दर्ज रहा है, जेठाराम पुत्र चेनाराम मेघवाल की वंश वृक्षावली इस प्रकार है:–

जेठाराम पुत्र चेनाराम मेघवाल

गोद पुत्र जसाराम पुत्र खंगारराम मेघवाल (गोदनामा दिनांक 13.03.2008 से गोद लिया) — मगनी (पुत्री)

↓

गोदपुत्र का देहान्त जेठाराम के जीवनकाल में दिनांक 08.11.2015 को हुआ

↓

पोकरी पत्नि जसाराम को जेठाराम ने अपनी मृत्यु के पहले दिनांक 3.10.2016 को खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर में से जेठाराम द्वारा निहित हिस्सा वसीयत किया ।

↓

दिनांक 15.11.2017 को जेठाराम का स्वर्गवास हुआ, तथा इससे पहले माता खीमीबाई व पत्नि गजीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका था।

↓

जेठाराम के स्वर्गवास के बाद मगनी द्वारा दिनांक 01.07.2020 को कानाराम पुत्र लालाराम पारंगी नि. सादडा को खसरा नंबर 515 व 94 दोनो खसरो में निहित 1/5 हिस्सा का बेचान किया गया।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 03/2020 Gcms No. 2020/00063
अनवान पोकरी बनाम मगनी वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1191 दिनांक 15.10.2019 जो सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा दिनांक 05.12.2019 को स्वीकृत किया गया)

एवं अब अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1191 जो कि ग्राम धणी में सह खातेदार जेठाराम पुत्र चेनाराम द्वारा 1/5 हिस्सा की सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 515 रकबा 0.97 हैक्टर एवं खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर के संदर्भ में पटवारी हल्का, धणी द्वारा दिनांक 15.10.2019 को दर्ज किया गया, इसके पश्चात् ग्राम पंचायत धणी ने प्रस्ताव संख्या 01 के जरिये दिनांक 05.12.2019 को स्वीकृत किया गया है। उसे निरस्त किये जाने की दलील दी जा रही है।

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि जेठाराम पुत्र चेनाराम मेघवाल द्वारा दिनांक 13.03.2008 को अपीलान्ट के पति जसाराम पुत्र खंगारराम को जाति रिति से गोद लिया, जिसका गोदनामा दिनांक 13.03.2008 को पंजिबद्ध भी कराया गया। इसके साथ ही यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि श्री जेठाराम पुत्र चेनाजी मेघवाल निवासी धणी के द्वारा अपनी पुत्रवधु पोकरी धर्मपत्नि जसारामजी जाति मेघवाल निवासी धणी के पक्ष में दिनांक 03.10.2016 को वसीयतनामा लिखा। जिस वसीयतनामा से ग्राम धणी मे स्थित शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर किस्म जाव सोयम, खसरा नंबर 108 रकबा 3.06 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम, खसरा नंबर 109 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 0.07 हैक्टर किस्म गै.मु. खसरा नंबर 111 रकबा 0.68 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नंबर 112 रकबा 0.72 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम कुल खसरा–6 कुल रकबा 11.49 हैक्टर में निहित हिस्सा अपीलान्ट पोकरी के नाम से वसीयत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति दिनांक 22.11.2015 के अनुसार जसाराम पुत्र जेठाराम की मृत्यु दिनांक 08.11.2015 को होना प्रमाणित हैं। इसी प्रकार जेठाराम की पत्नि जसीबाई की दिनांक 01.05.2003 को मृत्यु होने की पुष्टि भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 20.09.2019 से होती है। इसी प्रकार जेठाराम की मृत्यु दिनांक 15.11.2017 को होने की पुष्टि उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम धणी के नामान्तरकरण संख्या 1191 की प्रति के अनुसार धणी के खसरा नंबर 515 रकबा 0.97 हैक्टर व खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर के 1/5 हिस्सा के खातेदार जेठाराम पुत्र चेनाराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मगनी पुत्री जेठाराम के नाम पर दिनांक 15.10.2019 को दाखिल किया जाकर दिनांक 5.12.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा स्वीकृत किया जाना भी प्रमाणित है। इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि जेठाराम पुत्र चेनाराम के द्वारा अपीलान्ट के पति जसाराम को विधिवत गोद लिया गया, जिसका गोदनामा भी पंजिबद्ध कराया गया। जो इस तथ्य का परिचायक हैं कि स्व. जेठाराम पुत्र चेनाराम का जसाराम गोदपुत्र है, इसके साथ ही यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि जसाराम की मृत्यु के बाद जेठाराम पुत्र चेनाराम की सेवा चाकरी अपीलान्ट द्वारा ही की गई है। इसी वजह से जेठाराम पुत्र चेनाराम ने अपनी मृत्यु से पहले दिनांक 03.10.2016 को वसीतनामा के जरिये अपीलान्ट को उसके द्वारा धारित की जा रही कृषि भूमियो की वसीयत की गई। जिस वसीयतनामा में खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर का भी उल्लेख होते हुये विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 1191 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा जेठाराम पुत्र चेनाराम की पुत्री मगनी के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण भरा गया जिसको दिनांक 5.12.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति से राजस्व अभिलेखों में मगनी पुत्री जेठारामजी का नाम दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट संख्या–01 द्वारा ग्राम धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर एवं खसरा नंबर 515 रकबा 0.97 हैक्टर में दर्ज अपने 1/5 हिस्सा का बेचान कानाराम पारंगी पुत्र लालाराम जी जाति मेघवाल निवासी सादडा हाल फालना स्टशन तहसील बाली के पक्ष में दिनांक 01.07.2020 को पंजिबद्ध विक्रय विलेख के माध्यम से कर दिया गया। इस प्रकार स्व. जेठाराम पुत्र चेनाराम के गोदपुत्र जसाराम की विधवा के पक्ष में स्व. जेठाराम द्वारा खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर के 1/5 हिस्सा की वसीयत दिनांक 03.10.2016 को की हुई होने के बावजुद इस भूमि का नामान्तरकरण बिना किसी प्रकार की जांच किये पटवारी हल्का, धणी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के पक्ष में किया जाना प्रथम दृष्ट्या **ab-initio- void है।** जिससे अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 515 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नंबर 6.94 हैक्टर किस्म जाव सोयम में स्व0 जेठाराम पुत्र चेनाराम मेघवाल के धारित किये जा रहे 1/5 हिस्सा के सबंध में दाखिल फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1191 जो कि सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा दिनांक 05.12.2019 को स्वीकृत किया गया **ab-initio- void** होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः तहसीलदार, बाली को प्रति प्रेषण कर निर्देश दिये जाते है कि स्व0 जेठाराम पुत्र चेनाराम द्वारा दिनांक 13.03.2008 को निष्पादित गोदनामा एवं स्व0 जेठाराम पुत्र चेनाराम द्वारा मृत्यु से पुर्व दिनांक 03.10.2016 को अपीलान्ट पोकरी के पक्ष में खसरा नंबर 94 रकबा 6.94 हैक्टर बाबत् वसीयतनामा को दृष्टिगत् रखते हुये स्व. जेठाराम द्वारा धारित की जा रही भूमियो में स्व0 जेठाराम पुत्र चेनाराम के विधिक वारिशान के नाम नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत करे। पत्रावली उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 1191 की सत्यापित प्रति मय आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 30-5-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner